

नगर परिषद, चौमू

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHOMU/FIRENOC/2026-27/69089
जारी दिनांक: 25-MAY-2026 वैधता दिनांक: 24-MAY-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: BAJRANG SINGH BADHALA
आवेदक का पता: WARD NO 8 NH 11 GOVINDGARH

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHRI GANGA SINGH COLLEGE, AT NH 52, GOVINDGARH, TEH CHOMU, CHOMU, JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल करवाना होगा
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स का वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण रूफटॉफ रेस्टोरेन्ट के लिये मान्य नहीं है जिस भाग के लिये अनापत्ति जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉफ रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट एवं अतिज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा
- बेसमेन्ट में मानवीय गतिविधियां किये जाने पर प्रमाण पत्र निरस्त माना जावेगा।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव संचालन करना अनिवार्य होगा
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स का वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने के बाध्य होंगे।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतोर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
- 5 वर्ष का फायर सैस जमा करवाने की स्थिति में आगामी सैस नियमानुसार जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, चौमू